पत्रांक – गव्य (यो0–7) 241/14 ....1459...

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

दिनांक ..02.11.23..

–: शुद्धि पत्र :–

विभागीय राज्यादेश सं०–22 रा० (वि०) दिनांक–10.08.2023 (ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं०–1127) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिये Online Platform/Portal विकसित करने एवं परामर्शी सेवाएँ आदि प्राप्त करने हेतु JAP-IT से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव के आलोक में कुल प्राक्कलित राशि रु० 37.70 लाख (सैंतीस लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. विभागीय राज्यादेश सं०–22 रा० (वि०) दिनांक–10.08.2023 की कंडिका–"9" में यह निदेश है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी उपरान्त JAP-IT के पी०एल० खाता में स्थानान्तरित किया जायेगा।

3. गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड, राँची के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO Code– DRNDDV001) सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से सम्बद्ध है तथा JAP-IT का DDO Code– PRJSCT014 सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, राँची से सम्बद्ध है। अतः तकनीकी कारणों से इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से निकासी कर सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन; राँची से सम्बद्ध JAP-IT के पी०एल० खाता में स्थानान्तरित करने में कठिनाई है।

4. उक्त परिपेक्ष्य में विभागीय राज्यादेश सं०–22 रा० (वि०) दिनांक–10.08.2023 की कंडिका–"9" में विहित निदेश यथा "निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी उपरान्त JAP-IT के पी०एल० खाता में स्थानान्तरित किया जायेगा" को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

"इस योजनान्तर्गत JAP-IT के क्लेम बिल के आधार पर स्वीकृत राशि की निकासी करते हुए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से JAP-IT को उपलब्ध कराया जायेगा"।

5. राज्यादेश सं०–22 रा० (वि०) दिनांक–10.08.2023 को मात्र इस हद तक संशोधित समझा जाए। उक्त राज्यादेश की शेष सम्पूर्ण शर्तें यथावत् रहेंगी।

6. शुद्धि पत्र प्रारुप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी. भा०प्र०से०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– गव्य (यो0–7) 241/14 ...1459........... राँची, दिनांक–...02:11:23.....

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– गव्य (यो0–7) 241/14 ...1459......... **राँची, दिनांक–**...02:11:23...

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड राज्य/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष कार्य पदाधिकारी, जैप–आई0टी0, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– गव्य (यो0–7) 241/14 ...1459.......... **राँची, दिनांक–**...02:11:23.....

प्रतिलिपिः– कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– गव्य (यो0–7) 241/14 ...1459......... **राँची, दिनांक–**...02:11:23.....

प्रतिलिपिः– निदेशक, पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, राँची/निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड राज्य/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य एवं गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड, राँची के सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– गव्य (यो0–7) 241/14 ...1459......... **राँची, दिनांक–**...02:11:23.....

प्रतिलिपिः– डॉ० शिव कुमार वर्मा, कनीय शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, राँची–सह–नोड्ल पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकार के पोर्टल (www.jharkhand.gov.in) पर अद्यतन सूचनाएँ अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव